



प्रस्तुतिकरण-
श्री अविनाश चन्द्र
महानिदेशक,
उ.प्र.अग्निशमन तथा आपात सेवा,
लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा

**सदैव प्रयास करें कि
आग लगाने ही न पाये**

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा

हॉस्पिटल भवन का इलेक्ट्रिकल ऑडिट कराये



**Electrical
Safety Audit**

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा

इलेक्ट्रिक वायरिंग को चेक करायें कि वह
वर्तमान इलेक्ट्रिक लोड के अनुरूप है या नहीं?



उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा

बिजली के सॉकेट में प्लग ढीले न हों



उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा

बिजली के बोर्ड, उपकरण आदि के निकट
अति ज्वलनशील पदार्थों को न रखें



उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा

एयर कंडीशनर और विद्युत चालित जीवन
रक्षक उपकरण लगातार न चलायें। इनके
स्टैंड बाई उपकरण रखें।



उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा

मेडिकल वेस्ट, जैसे- कॉटन, बैंडेज,
सिरिंज आदि इलेक्ट्रिक बोर्ड, इलेक्ट्रिक
पैनल व जनरेटर आदि के पास न रखें।



उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा

कैंटीन तथा पैंट्री में खाना बनाने के उपकरणों
का असावधानीपूर्वक प्रयोग न करें



उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा

ऑक्सीजन टैंकों का भंडारण निर्धारित मानकों के अनुरूप ही करें



उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा

लापरवाही के साथ न तो धूम्रपान
करें और न ही किसी को करने दें



उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा

आग लगाने पर क्या करें ?

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा

आपातकालीन निकास मार्गों को सदैव अवरोधमुक्त रखें



उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा

आग लगने पर तत्काल भवन खाली करने हेतु
फायर अलार्म बजायें या पब्लिक एड्रेस सिस्टम
से लोगों को अलर्ट करें




उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा

प्राथमिक अग्निशमन उपकरण चलाकर आग बुझाने का प्रयास करें। इसके लिये सभी को पूर्व में ही प्रशिक्षित करा लिया जाये



उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा

फायर एक्सटिंग्शुशर का प्रयोग करते समय PASS पद्धति अपनाएं



उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा

निकटवर्ती फायर स्टेशन को सीधे सूचित करें।
फायर सर्विस मुख्यालय के कंट्रोल रूम
(9454418326) अथवा डायल 112 पर सूचना दें

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा

I.C.U. एवं क्रिटिकल पेशेन्ट को सुरक्षित
स्थान पर पहुँचाने हेतु पूर्व से ही स्थान व
दायित्व निर्धारित किये जायें


उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा

शासनादेश संख्या-71-2099/226/2023 (चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2), दिनांक- 23.04.2024 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर हॉस्पिटलों में निम्नानुसार टीमों का गठन किया जाये

- 1- इवैक्यूएशन टीम
- 2- फायर फाइटिंग टीम
- 3- सर्च एण्ड रेस्क्यू टीम
- 4- को-ऑर्डिनेशन एण्ड मेडिकल टीम

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा

स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम (धुआं निकासी व्यवस्था) का मानकों के अनुरूप प्राविधान किया जाये



उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा

समय-समय पर मॉक ड्रिल और इवैक्यूएशन ड्रिल आयोजित करायें



उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा

पानी की टंकियों को हमेशा भरकर रखें



उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा

भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरणों की कार्यशीलता का नियमित परीक्षण करायें



उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा

अपरिहार्य परिस्थिति में विभागीय समस्याओं / सुझावों
हेतु निम्नलिखित नम्बरों पर सी.एम.ओ./सी.एम.एस.
आदि द्वारा सम्पर्क किया जा सकता है

श्री विजय कुमार सिंह

सी.एफ.ओ.

उ.प्र. अग्निशमन तथा आपात सेवा

मो0-9454418324

श्री अविनाश चन्द्र

महानिदेशक

उ.प्र. अग्निशमन तथा आपात सेवा

मो0-9454400117

धन्यवाद.....